FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर धोरीमन्ना–बाड़मेर

उनवानः सताराम बनाम कोहलाराम

प्रा0पत्रसं0 19/2025

GCMS NO 2025/37

किस्म मुकदमाः– राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05.02.2025	प्रार्थी के वकील श्री देवाराम चौधरी ने यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज होकर दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड एडी से तलब होकर पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी का इंतजार होकर आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 21.03.2025 को पेश हो। (भागीरथराम) सहायक कलक्टर धोरीमन्ना सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना	
21.3.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनु.। प्रार्थीगण भी अनु.। आज न्यायालय कक्ष से प्रार्थी व प्रार्थी वकील को रुक-रुक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। उक्त प्रार्थना-पत्र के संबंध में मूल वाद खारिज हो चुका है अतः उक्त प्रार्थना-पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं [illegible] अतः प्रार्थना-पत्र [illegible] खारिज अदम हाजरी एवं [illegible] किया जाकर पत्रावली [illegible] सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:16:26 IST
Reason: SelfAttested